राजस्थान सरकार

सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग

योजना भवन, जयपुर

दिनांक 17 सितम्बर, 2007 तक अद्यतन **(Updated)**

I N F O R M A T I O N   IS   P O W E R

अनुक्रमणिका

अधिनियम की धारा 4(i) (बी) द्वारा अपेक्षित सूचनाएँ –

क्र.सं.	विवरण
(क)	संगठन, उसके कृत्यों एवं कर्तव्यों का विवरण
(ख)	अधिकारियों एवं कर्मचारियों की शक्तियां एवं कर्तव्यों का विवरण
(ट)	अपने अधिकारियों एवं कर्मचारियों की निदेशिका
(ठ)	अपने अधिकारियों एवं कर्मचारियों में से प्रत्येक द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक, मय क्षतिपूर्ति निर्धारण की पद्वति
(त)	इलेक्ट्रोनिक रूप में तैयार की गई, संधारित या उपलब्ध सूचनाओं का विवरण
(द)	लोक सूचना अधिकारियों / सहायक लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम एवं अन्य विवरण

(क) संगठन, उसके कृत्यों एवं कर्तव्यों का विवरण –

सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के कार्यविधि नियम

मंत्रिमंडल सचिवालय के आदेश संख्या प027(1)मंमं/2002 दिनांक 13 मई, 2002 द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के कार्यविधि नियमों में संशोधन किया गया। संशोधित कार्यविधि नियम निम्न प्रकार से है :–

1 राजस्थान में कम्प्यूटरीकरण के लिये नोडल एजेन्सी के रूप में कार्य करना। सरकारी विभागों और संगठनों में कम्प्यूटर, दूरसंचार और आधुनिक कार्यालय उपकरणों निम्नलिखित को सम्मिलित करते हुए राज्य में सूचना के प्रयोग के प्रति जागरूकता पैदा करना, उन्हें प्रोत्साहित करना एवं उनका प्रचार करना। प्रौद्योगिकी एवं दूरसंचार के विकास और प्रयोग से संबंधित सभी पहलुओं पर नीतियों का निरूपण करनाः

(क) समग्र निर्देश और मागदर्शन करना।

(ख) विभागों के कम्प्यूटरीकरण के लिये नीति और उनके क्रियान्वयन को मॉनिटर करना।

(ग) सरकार में प्रयुक्त होने वाली समुचित संचार/नेटवर्क प्रौद्योगिकी की पहचान करना।

(घ) बैंण्ड विड्थ की उपलब्धता और उत्तम गुणवत्तायुक्त ध्वनि तथा आँकडा प्रेषण सुविधाओं का निर्धारण करना।

(ड़) दूरसंचार के प्रसार के लिये विशेषतया ग्रामीण क्षेत्रों में इन्टरनेट सुविधाओं के लिये नीति बनाना।

(च) राज्य के लिये अपेक्षित दूरसंचार प्रौद्योगिकी के मानकीकरण के लिये नीति बनाना ।

(छ) सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार क्षेत्र में विनिमय के प्रयोजनार्थ प्रोत्साहनकारी गतिविधियों के लिये युक्ति तैयार करना।

(ज) स्थानीय भाषाओं को प्रेरित करना।

(झ) सूचना प्रौद्योगिकी एवं इन्टरनेट सुरक्षा नीति।

(ण) नीति निरूपण एवं क्रियान्वयन के लिए उपर्युक्त संगठनात्मक संरचना सृजित करना, और

(ट) सूचना प्रौद्योगिकी एवं दूरसंचार परियोजनाओं की वित्त घोषणा के लिए नीति बनाना।

2 सरकार की सभी एजेन्सियों द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी एवं दूरसंचार अवसंरचना के सृजन और सुदृढ़िकरण के मामले में समन्यवय करना।

3 निम्नलिखित को सम्मिलित करते हुए इलेक्ट्रानिक गवर्नेन्स का सूत्रपात करना :

(क) राजस्थान राज्य में ई–गवर्नेन्स का समन्वय और समग्र डिज़ाइन ।

(ख) सभी सूचना प्रौद्योगिकी और दूरसंचार परियोजनाओं में सिटिज़न इन्टरफेस को प्रोत्साहित करना।

(ग) राज्य में ई–गवर्नेन्स परियोजनाओं के क्रियान्वयन का परिवेक्षण करना ।

(घ) आँकड़ा संकलन, समेकन और प्रसार के लिए मानक सांकेतिक शब्दों के विकास का समन्वय करना ।

(ड़) सम्पूर्ण राज्य में इन्टरनेट और ई–कामर्स को प्रोत्साहन देना।

(च) उपध्यता रिपोर्ट की तैयारी के लिए राज्य की एजेन्सीयों को तकनीकी सलाह प्रदान करना।

(छ) व्यवहार अनुकूल और मानक कम्प्यूटर हार्डवेयर अनुप्रयोज्य साफ्टवेयर संचार डिवाइस/प्रोटोकॉल के चयन, उपार्जन, स्थापन और क्रियान्वयन के लिए तकनीकी सलाह देना।

(च) विभिन्न विभागों में ऑफिस ओटोमेशन का क्रियान्वयन।

(झ) सरकारी विभागों / निधिप्रदत्त एजेन्सियों / बी.ओ.ओ.टी या बी.ओ.ओ. परियोजनाओं द्वारा क्रियान्वित की जाने वाली विभिन्न सूचना प्रौद्योगिकी परियोजनाओं की प्रगति का पुनरावलोकन, और

(ण) सरकारी विभागों के दैनिक प्रशासनिक कार्य के लिए सूचना प्रौद्योगिकी और दूरसंचार के प्रयोग को मॉनीटर करना ।

4 निम्नलिखित को सम्मिलित करते हुए विनिधान को प्रोत्साहन देना

(क) सूचना प्रौद्योगिकी एवं दूरसंचार क्षेत्र मे विनिधान के लिए प्रोत्साहनकारी गतिविधियों के लिए युक्ति तैयार करना।

(ख) राजस्थान में सूचना प्रौद्योगिकी एवं दूरसंचार उद्योग को प्रोत्साहन देना।

(ग) कम्प्यूटरीकरण के लिए नए क्षेत्रों का विकास करना।

(घ) ऐसी नई प्रौद्योगिकी को प्रौत्साहित करना जो जीवन स्तर को उन्नत करें, और

(ड) सूचना प्रौद्योगिकी सामर्थ्ययुक्त सेवाओं को प्रोत्साहन देना।

5 निम्नलिखित को सम्मिलित करते हुए सूचना प्रौद्योगिकी और दूरसंचार अवसंरचना का स्थापन

(क) राजस्थान में सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान का संस्थापन ।

(ख) ग्रामस्तर तक ब्रोडबैंण्ड डिजिटल संबन्धता के स्थापन को सुकर बनाना।

(ग) राज्य में दूरसंचार अवसंरचना के सुधार के लिए डी.ओ.टी. / वी.एस.एन.एल. / बी.एस. एन.एल. या अन्य सार्वजनिक / निजि क्षेत्र की एजेन्सीयों के साथ समन्वय करना, और

(घ) समुचित संचार / नेटवर्क प्रौद्योगिकीं की पहचान करना और सरकार / उद्योग / सार्वजनिक क्षेत्रों विशेषतया ग्रामीण क्षेत्रों में अनुप्रयुक्त करना।

6 उच्च गुणवत्ता की कम्प्यूटर शिक्षा को प्रोत्साहित करना।

7 कम्प्यूटर और इन्टरनेट के प्रति जागरूकता और उसके प्रयोग को बढ़ाने के लिए पुनावर्या पाठ्यक्रमों / सेमिनारों / कार्यशालाओं / प्रशिक्षणों की व्यवस्था और समन्वय करना। महत्वपूर्ण साहित्यों और नियमावलियों को प्रकाशित करना और उन्हें वितरित करना।

8 सभी सूचना प्रौद्योगिकी एवं दूरसंचार संगठनों का समन्वय यथा एन.आई.सी.इलेक्ट्रानिक साफ्टवेयर प्रयोजन काऊन्सिल, नास्कॉम का सूचना प्रौद्योगिकी और संचार से सम्बन्धित भारत सरकार के विभागों के साथ समन्वय।

9 विभाग के नियन्त्रण के अधीन कम्प्यूटर एवं संचार वृतियों की भर्ती और संवर्ग प्रबन्धन।

10 कार्मिक विभाग, सामान्य प्रशासन और वित्त विभाग को आबंटित मामलों से भिन्न सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग के प्रशासनिक नियन्त्रण के अधीन के अधिकारियों और कर्मचारियों से सम्बन्धित स्थापन के समस्त मामले ।

प्रशासनिक विभाग की भूमिका में कम्प्यूटर विशेषज्ञों की नियुक्ति एवं संवर्ग व्यवस्था नियंत्रित करना।

(ख) अधिकारियों एवं कर्मचारियों की शक्तियां एवं कर्तव्यों का विवरण –

राजस्थान सरकार के सेवा नियमानुसार।

(ट) अपने अधिकारियों एवं कर्मचारियों की निदेशिका –

SNo.	Name of employees	Post
1.	SMT. APARNA ARORA, IAS	DIRECTOR & SPECIAL SECRETARY
2.	SH. VIKAS BADAL	ADDL. DIRECTOR
3.	SH ONKARMAL RAJOTIA	SR.A.O.
4.	SH. A.M. DESHPANDE	S.A.
5.	SH. PRAMOD AGARWAL	S.A.
6.	SH. R. K. DAVE	A.C.P.
7.	SH. SUNEEL CHHABRA	A.C.P.
8.	SH. R. K. SHARMA	A.C.P.
9.	SH. Y.K. JAIN	A.C.P.
10.	SH. RAMESHWAR LAL SOLANKI	A.C.P.
11.	SH. ARUN CHOUHAN	A.C.P.
12.	SH. B.S. NATHAWAT	A.C.P.
13.	SMT. DEEPSHIKHA SAXENA	PROG.
14.	SH. PRAVEEN BHARDWAJ	PROG.
15.	MS. SONIA CHATURVEDI	PROG.
16.	SH. CHETAN PRAKASH SHARMA	PROG.
17.	SH. VED PRAKASH YADAV	PROG.
18.	SH. PUKHRAJ BUMB	PROG.
19.	SH. RAJESH GUPTA	PROG.
20.	SH. NAVEEN DUTT MATHUR	PROG.
21.	SH. DEVESH BADMERA	PROG.
22.	SH. JITENDRA VARSHNEY	PROG.
23.	SMT. NEELU JAIN	PROG.
24.	SH. NITIN VERMA	PROG.
25.	SH. APRESH DUBEY	PROG.
26.	SH. TAPAN	PROG.
27.	SH. MAHENDRA KR. NIGAM	ACCTT
28.	SH. SURESH CHAND JAIN	SR. P.A.
29.	SH. ANIL KUMAR SHARMA	P.A.
30.	SH. MEHANDI ABBAS	C.O.
31.	SH. RAJESH VASHISTHA	C.O.
32.	SMT. PRIYANKA JAIN	C.O.
33.	SH. ROHIT KUMAR SOTI	C.O.
34.	SH. DUSHANT KR. JAIN	C.O.
35.	SH. MUKESH KR. VERMA	C.O.
36.	SH. RAJ KUMAR SINGH	C.O.
37.	SH. OM PRAKASH KUMAWAT - I	C.O.
38.	SH. SUMIT BHARGAVA	C.O.

SNo.	Name of employees	Post
39.	SH. KAMLESH KUMAR SHARMA	C.O.
40.	SH. AMIT TIWARI	C.O.
41.	SH. BHAG CHAND KUMAWAT	D.E.O.
42.	SMT. PRAGATI SRIVASTAVA	D.E.O.
43.	SH. ANOOP SRIVASTAVA	D.E.O.
44.	SH. UMMED SINGH RAWAT	D.E.O.
45.	SMT. JYOTI ARORA	D.E.O.
46.	SMT. JYOTI AGNIHOTRI	D.E.O.
47.	SH. VINEET MATHUR	D.E.O.
48.	SH. BABU LAL RAO	D.E.O.
49.	SH. SANJAY JAIN	D.E.O.
50.	SH. RAMAVTAR SHARMA	D.E.O.
51.	SH. RAVINDRA CHATURVEDI	D.E.O.
52.	SH. PAWAN PRAKASH SHARMA	D.E.O.
53.	SH. SOURABH SHARMA	D.E.O.
54.	SH. HIRA LAL SAINI	U.D.C.
55.	SH. RAM CHARAN DHOBI	L.D.C.
56.	SH. DEEPAK SHARMA	L.D.C.
57.	SMT. ARCHANA SHARMA	L.D.C.
58.	SMT. VIJAY YADAV	L.D.C.
59.	SH. RATAN NATH KACHAWA	DRIVER
60.	SH. GIRDHARI SINGH	CYCLE SAWAR
61.	SH. BHAGWAN SINGH	CLASS-IV
62.	SH. MAKHAN LAL SHARMA	CLASS-IV
63.	SH. BABU LAL MEENA	CLASS-IV

(ठ) अपने अधिकारियों एवं कर्मचारियों में से प्रत्येक द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक, मय क्षतिपूर्ति निर्धारण की पद्वति –

SNo.	Post	PAY SCALE
1.	ADDL. DIRECTOR	11300-16200
2.	SYSTEM ANALYST	11300-16200
3.	ANALYST-CUM-PROGRAMMER	10000-15200
4.	SENIOR ACCOUNTS OFFICER	10000-15200
5.	PROGRAMMER	6500-10500
6.	ACCOUNTANT	5500-9000
7.	SENIOR PERSONAL ASSISTANT	6500-9000
8.	PERSONAL ASSISTANT	5500-9000
9.	STENOGRAPHER	5000-8000
10.	COMPUTER OPERATOR	5000-8000
11.	DATE ENTRY OPERATOR	4000-6000

SNo.	Post	PAY SCALE
12.	UPPER DIVISIONAL CLERK	4000-6000
13.	LOWER DIVISIONAL CLERK	3050-4590
14.	DRIVER	3050-4590
15.	CYCLE SAWAR	2550-3200
16.	CLASS-IV	2550-3200

(त) इलेक्ट्रोनिक रूप में तैयार की गई, संधारित या उपलब्ध सूचनाओं का विवरण –

Website - ***rajasthan.gov.in*** is regularly updated & maintained by Department.

(द) लोक सूचना अधिकारियों / सहायक लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम एवं अन्य विवरण

SNo.	NAME OF OFFICER	POST
1.	SHRI R.K. DAVE	ANALYST-CUM-PROGRAMMER & HEAD OF OFFICE Ph. 2222011 / 2224855 (O)